न्यायालयः डॉ. कुलदीप जैन, विशेष न्यायाधीश विद्युत भिण्ड (म०प्र०)

आदेश दिनॉक-21.04.2017		<u>प्र0कं0 395/12 विद्युत</u>
म०प्र० विद्युत	Again again	परिवादी
<u>//बनाम//</u> जगन्नाथ	The Theory	अभियक्त

Order sheet (contd) case N0- 395/6

case N0- 395/of 2012 CIS NO. 230301024122012

	GID 110, 20000102-	11==01=
Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary
21.04.17	परिवादी द्वारा श्री मुकेश कुमार दुबे अधिवक्ता। आरोपी अनुपस्थित। प्रकरण आरोपी जगन्नाथ की उपस्थिति हेतु नियत है। पुलिस थाना गोरमी जिला भिण्ड से आरोपी का गिरफ्तारी वारण्ट इस तस्दीक के साथ वापिस प्राप्त कि वह फरार हो गया है एवं ज्ञात पते पर पर्याप्त प्रयासों के बाद भी नहीं मिल रहा है। फरारी साक्ष्य में साक्षी प्रधान आरक्षक उदयभान सिंह उपस्थित हैं। उनकी फरारी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 द0प्र0सं0 लेखबद्ध की गई। उन्होंने शपथपूर्वक तामीली रिपोर्ट का समर्थन किया है। उनकी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये आरोपी को फरार ६ गोषित किया जाता है। उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित प्रधान आरक्षक उदयभान सिंह को प्रदत्त कर पावती आदेश पत्रिका में ली जावे। धारा 82 द0प्र0सं० के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो। धारा 83 द0प्र0सं० के अंतर्गत कार्यवाही के लिए अभियोजन अभियुक्त की सम्पत्ति का विवरण पेश करे। प्रकरण में आरोपी फरार हैं। तद्ानुसार अभिलेख व मुद्देमाल सुरक्षित रखने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ	A Lead

पर लाल स्याही से अंकित की जावे। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिणाम पंजी में अंकित कर विहित अवधि में दाखिल अभिलेखागार किया जावे।

सही / – (डॉ० कुलदीप जैन) विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)

STINGTO POTENTS STATED STATED